फा. सं. न्यूपा/प्रशासन/आर ओ/ परिपत्र/030/2018-19
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

01 अप्रैल, 2021

परिपत्र

विषयः नोवेल कोरोनावायरस (कोविड -19) के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले निवारक उपाय -नीपा के कार्मिकों की उपस्थिति।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उपस्थिति के विनियमन के लिएइस कार्यालयके समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.2.2021 के तहत परिचालित कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/2014-स्था-एIIIदिनांक 13.2.2021के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में समूह 'क' अधिकारियों (संकाय/गैर-संकाय), समूह 'ख' और 'ग' अधिकारियों और परियोजना स्टाफ सहित संस्थान के सभी स्टाफको बहुत विशिष्ट शब्दों में निर्देशित किया जाता हैं कि कर्मचारी के किसी भी वर्गको किसी भी छूट के बिना सभी कार्य दिवसों पर उपस्थिति अनिवार्य है।

कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से"कंटेनमेंट ज़ोन" के रूप में उस क्षेत्र को अधिसूचित करतीअधिसूचना को प्रस्तुत करने की शर्त पर छूट दी जाएगी, तथापि अधिकारियों को क्षेत्र के अधिसूचना मुक्त होने के तत्कालउपरांतकार्यग्रहण करना होगा। उनके कार्यग्रहण करने पर उनकी अनुपस्थिति को नियमितीकरण के लिए उन्हें संलग्नक – ए में संलग्ण निर्धारित प्रपत्र में"क्वारंटाइन अवकाश" के लिए आवेदन करना होगा। कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले इन अधिकारियों/स्टाफ को टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर सदैव उपलब्ध रहना होगा।

उपर्युक्त के अलावा जो अधिकारी/स्टाफ स्वयं कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, वे तत्काल ई-मेल/फोन के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें और"क्वारंटाइन अवकाश" का आवेदन करने के लिए पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और उनका कड़ाई से पालन किया जाए।

डी. एस. ठाकुर
1.4.2021

(डी. एस. ठाकुर)
प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)